न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 137/2016

1. देवीलाल पुत्र तखतू राम
2. शमी बाई पत्नी तखतूराम
3. रांझाराम पुत्र तखतूराम
1. शारदा धर्मपत्नी भगवानदास
2. शिकन्दर | पि. भगवानदास
3. महेन्द्र
4. टीना बाई पुत्रि भगवानदास

अकवाम राजपूत निवासीयान गांव खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलांट्स

बनाम

1. लालचन्द पुत्र तखतूराम जाति राजपूत, निवासी गांव खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा. का. अ. 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

दिनांक 23.09.2016

उपस्थितिः—

श्री राजकुमार नागपाल, अभिभाषक अपीलांट

श्री ओ.पी. बतरा, अभिभाषक रेस्पों.

21/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

श्री इकबाल सिंह सिद्धू, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 21.08.17**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पों. सं. 1 ने एक वाद न्यायालय सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष रा. का. अ. की धारा 88, 53, 183 का पेश कर इस आश्य का अनुतोष चाहा कि चक 1 जी बड़ी के खाता सं. 72/57 मु. नं. 8 व 16 की कुल 7.895 है. भूमि का खाता विभाजन की वादी के हक में पारित कर वादी के कब्जा काश्त की 2.10 बीघा भूमि के अलावा किलावाइज उसको 3.17 बीघा भूमि का कब्जा दिलाने का आदेश दिया जावे । वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादी सं. 1 ता 7 को जवाबदावा पेश करने का मौका दिया लेकिन जवाबदावा नहीं पेश किया गया । राज्य पक्ष की ओर से जवाबदावा पेश किया गया । दावा एवं जवाबदावा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुतोष सहित तीन वाद बिन्दू कायम किये गये एवं दिनांक 29.02.2016 को कुल 7.895 है. भूमि में वादी का 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित कर तहसीलदार से विभाजन के प्रस्ताव मंगाने जाने के आदेश दिए । विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.09.2016 को वादी को चक 1 जी बड़ी के मु. नं. 16 के कि. नं. 8, 13, 18 की 0.975 भूमि का खातेदार घोषित करते हुए अंतिम डिक्री जारी करने के आदेश दिए जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

21/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार के विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने रा. का. (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 19, 20, एवं 21 की पालना नहीं की है । विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में ऐतराज पेश किया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त ऐतराज खारिज कर दिया एवं विभाजन प्रस्ताव को यथा स्वीकार किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए विभाजन नहीं किया । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे । अपने कथन के समर्थन में वकील अपीलांट ने आर.आर.डी 2011 पेज 231, आर. आर.डी. 2003 पेज 193 की नजीरें पेश की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पों. का 1/5 हिस्सा बनता है जो अधीनस्थ न्यायालय ने दिलाया है । जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । यदि अपीलांट की आपत्ति खारिज की थी तो उसे चुनौती देनी चाहिए थी । अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे ।

उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील का सार बिन्दू यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन दावे में निर्णय से पूर्व बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलांट की आपत्तियां खारिज करना है । अधीनस्थ न्यायालय की

2/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पत्रावली पर प्रतिवादी देवी लाल की आपत्ति है कि मु. नं. 16 के कि. नं. 8 में 0.216, 13, 18, 23 की अंतिम डिक्री वादी के हक में जारी नहीं की जावे । उक्त ऐतराज में यह भी अंकित किया है कि घरू बंटवारा के अनुसार कब्जा काश्त है । यदि प्रारम्भिक प्रस्ताव के आधार पर वादी के हक में अंतिम डिक्री पारित की जाती है तो वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विवाद बढ़ेगा । प्रथमतः आपत्ति का निस्तारण किया जाना अपेक्षित था जो नहीं करने से प्रतिवादी की आपत्ति रा. का. (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 20 के अनुकूल होने से अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2016 निरस्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि प्रतिवादी को साक्ष्य का मौका देते हुए रा. का. (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के Chepter-Iv में दिये निर्देशों की पालना कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.10.2017 को उपस्थित रहे ।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

21/8/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर